रणजीत टाइम्स

वर्ष : 1, अंक: 90 इंदौर, शनिवार 29 मार्च 2025

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

DIGITAL EDITION

करणी सेना (भारत) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम से

आगरा में हुए घटना क्रम पर खास चर्चा

रंजीत टाइम्स-आदित्य शर्मा

8224951278

»»» **रणजीत टाइम्स** पद्मावत मूवी के बाद पुनः करनी सेना का उग्र रूप देखने को मिला क्या कारण है?

»»» **राष्टीय उपाध्यक्ष** बहुत पहले करनी सेना का उग्र रूप पद्मावत और जोधा अकबर मूवी को लेकर देखा गया था परन्तु अभी समाज वादी पार्टी के सांसद रामलाल सुमन द्वारा बहुत ही निंदनीय बयान दिया गया था महाराणा सांगा को लेकर उनके द्वारा कहा गया कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया था हिंदुस्तान में एवं उससे ही मुगल हिंदुस्तान में आए एवं राजपूतों को गद्दार कहा गया यह बयान पूर्णत निंदनीय हे एवं हमारे द्वारा उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया परन्तु वह अपनी बात पर अड़े रहे इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए करनी सेना उग्र रूप में आई क्योंकि उनके द्वारा महाराणा सांगा जी का अपमान किया गया जो कि महापुरुष थे, एवं महापुरुष की कोई जात नहीं होती हे वह सभी के लिए आदरणीय होते है। इसलिए करनी सेना भारत द्वारा पुतला जलाया गया एवं करनी सेना उग्र रूप में दिखाई दी गई।

»»» **रणजीत टाइम्स** कहा जा रहा हे कि इस पूरे मामले को लेकर आप के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी हो सकती है?

»»» **उपाध्यक्ष** हा बिल्कुल सुनने आया हे कि पूरे मामले को लेकर हमारे अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह की गिरफ्तारी हो सकती हुआ यूं कि पहले हमारे द्वारा पुतले जलाना धरना प्रदर्शन करना इस तरह के कार्य किए जाते थे परन्तु इस बार हमारे अध्यक्ष जी द्वारा घर पहुंच कर अध्यक्ष जी द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा सांसद में राजपूतों को गद्दार कहा हे तो अब राजपूत सामने आया हे तो आप हमारे मुंह पर कह कर बताए तो इस मामले को लेकर पथराव हुआ तो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हे और यदि गिरफ्तारी होती हे तो कोई बात नहीं क्योंकि समाज हित में यदि गिरफ्तारी होती भी हे तो कोई बात नहीं मेरी भी तीन से चार बार गिरफ्तारी हो चुकी हे यदि गिरफ्तारी होती हे तो उसका भी प्रतिकार करेंगे एवं यदि अध्यक्ष जी की गिरफ्तारी होती हे तो सरकार से एक ही मांग रहेगी कि उस सांसद की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि पूरी घटना का सूत्र धार वही सांसद हे न ही वो इस तरीके से निंदनीय बयान देते न ये घटना क्रम होता।

»»» **रणजीत टाइम्स** वही सपा सांसद एवं अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा कहा गया कि जिस सांसद पर हमला किया गया वह एक दलित सांसद हे,तो क्या इससे अब राजपूत और दलित में असमंजस की स्थिति पैदा होगी?

»»» **उपाध्यक्ष** हा क्योंकि उनका नाम हे राम लाल जी सुमन परन्तु सुमन नाम से कही नजर नहीं आता कि वह दलित हे या कोई और हमारे पदाधिकारी एवं साथी गण उनके घर गए थे वो तो हम एक सांसद के घर गए थे वही यह बात तो अखिलेश यादव ने बताया कि वह दलित हे वही कही न कही देखा जाए तो इसमें भी अखिलेश यादव की ही चाल हे वही जब सांसद में इस तरीके से बयाना दिए जा रहे थे उनके द्वारा कुछ कहा नि गया कही न कही वो भी सही सोचते हे कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया हे यदि वह चाहते तो उनके परिवार में छै छे सांसद हे उनके द्वारा बुलवाया जा सकता था परन्तु उन्होंने ने दलित से बुलवाया कही न कही इसमें उनकी ही चाल है।

»»» **रणजीत टाइम्स** इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी है?

उपाध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा माननीय योगी जी द्वारा प्रतिक्रिया दी हे उनके द्वारा कहा गया कि जो मुगलों को अपना आदर्श मानते वो क्या महापुरुष के बारे में जानेंगे ये जवाब योगी जी द्वारा दिया गया एवं महाराणा सांगा जी का पक्ष भी रखा हे परन्तु बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी हे क्योंकि उनको भी सारे समीकरण संभालने होते है।

»»» **रणजीत टाइम्स** इस पूरे घटना क्रम में आप को दूसरे संगठनों का साथ मिला या नहीं मिला

»»» **उपाध्यक्ष** करणी सेना की संपूर्ण शाखा हमारे साथ थी एवं जब भी इस तरह के घटना क्रम होते हे तो संपूर्ण संगठन मिलकर इन चीजों का विरोध करते है।

वही हमारा सबसे पहले साथ किसी ने दिया था तो कोई भीम आर्मी के थे तवर जिन्होंने ने मीडिया पर सबसे पहले समर्थन किया था में उनका धन्यवाद देना चाहता हु वहीं कई समाज के लोग यादव समाज के खटीक समाज के एवं ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा भी हमारा समर्थन किया गया था।

भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए पहुंचा भारत

नई दिल्लीः पड़ोसी मुल्क म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप में अब तक 600 से ज्यादा मौतों की जानकारी आई है। 1670 से अधिक लोग घायल हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। इसके तहत भारत सरकार ने भीषण भूकंप से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए तुरंत ही कदम उठाए हैं। टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाद्य पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यक दवाओं सहित 15 टन राहत सामग्री लेकर हमारा हेलीकॉप्टर यांगून पहुंचा है।

15 टन राहत सामग्री भेजी गई यांगून

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत से भेजी मदद की पहली खेप यांगून पहुंच गई है। इससे पहले AFS हिंडन से भारतीय वायुसेना का सी 130 जे विमान राहत सामग्री के साथ म्यांमार के लिए उड़ान भरा था। इस विमान में लगभग 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई। जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरीफायर, हाइजीन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट, आवश्यक दवाएं (पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, कैनुला, सीरिंज, दस्ताने, कॉटन बैंडेज, मूत्र बैग आदि) शामिल हैं। म्यांमार में भूकंप से भारी तबाही

म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप ने भयानक तबाही मचाई है। कई जगह पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। पूरे देश में हालात बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। ऐसे में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत आगे आया है। भारत ने 15 टन से ज्यादा राहत सामग्री यांगून भेज दी है। यह मदद IAF के C-130J विमान से भेजी गई। इस विमान ने एयर फोर्स स्टेशन हिंडन से उड़ान भरा।

भारत ने भेजीं ये जरूरी चीजें

राहत सामग्री में कई जरूरी चीजें शामिल हैं। टेंट और स्लीपिंग बैग लोगों को रहने के लिए जगह देंगे। कंबल उन्हें ठंड से बचाएंगे। तैयार भोजन और पानी शुद्ध करने वाले उपकरण खाने-पीने की समस्या दूर करेंगे। स्वच्छता किट लोगों को साफ रहने में मदद करेंगे। सोलर लैंप और जेनरेटर सेट रोशनी देंगे। दवाओं से बीमार लोगों का इलाज होगा। दवाओं में पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक, सिरिंज, दस्ताने और पट्टियां शामिल हैं।

अब हार्ट अटैक आने से पहले ही ALERT कर देगी ये डिवाइस

उज्जैन : आजकल हार्ट अटैक आना आम बात हो गई। इस तरह के मामलों से बचने के लिए विक्रम विवि के डॉ. विष्णु कुमार सक्सेना ने कम्प्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है। इस खोज के चलते उन्होंने ऐसी डिवाइस बनाई, जो अटैक आने से पहले व्यक्ति की देखभाल करने वाले को तत्काल अलर्ट कर देगी, जिससे समय रहते व्यक्ति की जान बचाई जा सके। डॉ. सक्सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कॉर्डियक अरेस्ट अलर्टिंग डिवाइस का भारतीय पेटेंट प्राप्त किया है। यह डिवाइस हृदय गति, ऑक्सीजन संतृप्ति और श्वसन पैटर्न को ट्रैक कर त्वरित चेतावनी जारी करने में सक्षम है। इससे आपातकालीन सेवाओं और देखभाल कर्ताओं को तत्काल सूचना मिलती है, जिससे जीवन बचाने की संभावना बढ़ जाती है। रोगी को बचाने में त्वरित कार्रवाई के लिए सटीक जीपीएस स्थान दर्शाता है। यह उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत स्वास्थ्य और रोग निरोधी सिफारिशें प्रदान करने के लिए चिकित्सा प्लेटफ़ॉर्म के साथ भी एकीकृत होता है। निरंतर निगरानी और तत्काल प्रतिक्रिया क्षमताओं की पेशकश करके, यह हृदय संबंधी आपात स्थितियों में महत्वपूर्ण समय अंतराल को कम करता है, जिससे मनुष्य के बचने की संभावना बढ़ जाती है। डॉ. सक्सेना के अनुसार कॉर्डियक अरेस्ट अलर्टिंग डिवाइस के एक नए डिज़ाइन के आविष्कार में उन्नत बायोमेट्रिक सेंसर शामिल है। यह हृदय गति, ऑक्सीजन सेचुरेशन और श्वसन पैटर्न जैसे महत्वपूर्ण संकेतों को ट्रैक करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए, कार्डियक अरेस्ट के शुरुआती संकेतों का पता लगाता है और तुरंत आपातकालीन सेवाओं, देखभाल करने वालों को सूचित करता है।

देश के 45 प्रश विधायकों पर क्रिमिनल केस, 1205 पर गंभीर आरोप

नई दिल्ली। चुनाव सुधार पर काम करने वाले एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट में सामने आया है कि देश के 45 प्रश विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ADR ने देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4123 विधायकों में से 4092 के चुनावी हलफनामे का एनालिसिस किया। आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा 174 में से 138 (79 प्रश) विधायकों ने जबकि, सिक्किम में सबसे कम 32 में से सिर्फ एक विधायक (3 प्रश) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सबसे ज्यादा 134 विधायकों में से 115 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 1861 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इसमें 1205 पर हत्या, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। 54 विधायकों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप हैं। वहीं, 226 पर IPC की धारा 307 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत हत्या की कोशिश के आरोप हैं।

12 अरब खर्च के बाद भी पुराने स्वरूप में नहीं लौट पायी कान्ह नदी

इंदौर। बीते एक दशक में कान्ह-सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने और उसमें स्वच्छ जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया है। इन परियोजनाओं पर अब तक लगभग 12 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक इस नदी को नाले से नदी में परिवर्तित करने में सफलता नहीं मिल सकी है। खासतौर पर दो अरब करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एसटीपी प्लांट भी लगाए गए, ताकि उद्योगों और अन्य दूषित जल को सीधे कान्ह-सरस्वती नदी में मिलने से रोका जा सके। इसके अलावा अब रिवर फ्रंट कॉरिडोर पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की योजना है। इसके लिए प्राधिकरण ने फिजिबिलिटी सर्वे भी करवाया, जिसमें 1.9 किलोमीटर के हिस्से पर ही 75 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च अनुमानित किया गया है। नागरिकों ने भी कान्ह-सरस्वती शुद्धिकरण अभियान में बढ़-चढक़र भाग लिया और इस दिशा में कई जनसेवा कार्य भी किए गए। इसके बावजूद इन नदियों को पुनर्जीवित करने में अब तक सफलता हासिल नहीं हो पाई है।

पायलेट प्रोजेक्ट

ऑनलाइन होगा क्राइम जस्टिस सिस्टम

न्याय व्यवस्था के सभी विभाग एक दूसरे से जुड़ेंगे

देवास। अपराधिक न्याय व्यवस्था के अलग अलग स्तंभों के मध्य सूचनाओं का आदान-प्रदान डिजिटल प्लेटफार्म पर करने के लिए देवास जिला पायलेट जिले के रूप में चयनित किया गया है। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश का यह पहला जिला होगा, जिसमें विवेचकों के पास टेबलेट होंगे। अपराधिक न्याय से जुड़े सभी विभाग ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़ेंगे।

विवेचना, वारंट, समन, एमएलसी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच, न्यायालय, अभियोजन और जेल विभाग जानकारियां साझा करेंगे। इस व्यवस्था को प्रदेश में लागू करने के लिए देवास जिले को पायलेट जिले के रूप में लेकर यहां पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों, एफएसएल अधिकारी, अभियोजन के वकीलों विवेचकों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। सिस्टम पूरी तरह से लागू होने पर अपराधिक न्याय व्यवस्था सुलभ, पारदर्शी और तेज हो जाएगी। भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता से बदलने के बाद अब दंड से ज्यादा न्याय पर जोर दिया जा रहा है। पहले कानून में दंड देने की बात होती थी, जो अब पीड़ति को न्याय देने की होती है। पुलिस विभाग पूरी अपराधिक न्याय व्यवस्था को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए अब सभी स्तंभों को ऑनलाइन करने पर जोर दे रहा है। इसके तहत एफआईआर होने से जेल जाने तक सबकुछ एक क्लिक पर लाने की कोशिश है। इस पूरी कसरत के लिए देवास जिला पायलेट जिले के रूप में चयनित हुआ है और काम शुरू हो चुका है। इसके तहत प्रकरणों की विवेचना करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को टेबलेट भी दिए जाएंगे।

सब कुछ पेपरलेस और तेज हो जाएगा

न्याय व्यवस्था में एफआईआर से प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद एमएलसी के लिए डाक्टर से संपर्क किया जाता है। विवेचना सीसीटीएनएस के माध्यम से पूर्व से ऑनलाइन है, परंतु डाक्टरी रिपोर्ट हार्ड कापी में मिलती है और इसके लिए काफी समय भी लगता है। नई प्रक्रिया में थाने से ही ऑनलाइन रिक्वेस्ट संबंधित अस्पताल में जाएगी, जिस पर रिप्लाय भी ऑनलाइन होगा। सभी एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट टाइप की हुई होगी। आमतौर पर डाक्टरों द्वारा लिखे गए पर्चे समझने में दिक्कत होती है, परंतु टाइप होने से आसानी से समझा जा सकेगा। यह काम सीसीटीएनएस और हेल्थ के मेडलेपार साफ्टवेयर को लिंक करने से होगा। इसी तरह, एफएसएल से भी रिपोर्ट हार्ड कापी में आती थी, जो ऑनलाइन आएगी। किसी भी पोस्टमार्टम के बाद विसरा एफएसल जाता है, जिसकी रिपोर्ट काफी समय बाद आती थी। अब एफएसएल सीसीटीएनएस से लिंक होगी, जिससे रिपोर्ट पोर्टल पर थाना प्रभारी को दिखने लगेगी। इससे एफएसएल के इंतजार में प्रकरण लंबित नहीं रहेंगे। विवेचना के दौरान चालान के पूर्व ई-प्रोसिक्यूशन पोर्टल अभियोजन से डायरी स्क्रूटनी होती है। नया सिस्टम लागू होने से सीसीटीएनएस से डायरी इप्रोसिक्यूशन पर चली जाएगी। चालान को सीसीटीएनएस में सबमिट कर प्रिंट आउट निकालकर देते हैं। इसके बजाय अब आनलाइन ही न्यायालय में चार्जशीट चली जाएगी। सबकुछ पेपरलेस और तेज हो जाएगा। नई व्यवस्था के तहत विवेचना भी ई-विवेचना हो जाएगी। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत जिले के विवेचकों को करीब 300 टेबलेट मिलेंगे। इसके लिए विवेचकों की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी।

न्यायालय से जो भी फैसला होगा, वह भी सीसीटीएनएस में आए नए फार्म में दिखने लगेगा। किसी को सजा होने पर जेल में इप्रिजन साफ्टवेयर में जानकारी डाली जाती है। यह भी सीसीटीएनएस से लिंक हो जाएगा, जिससे जेल में बंद अपराधियों से मिलने कौन आया, वह केस अपराध में बंद है, कब रिहा होगा आदि जानकारियां रहेंगी। आईसीजेएस पोर्टल के माध्यम से यह जानकारी भी आसानी से मिल पाएगी।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा

हिंदू मैरिज एक्ट के तहत निपटाए जाएंगे जैन समुदाय के वैवाहिक मामले

इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद जैन समुदाय हिंदू विवाह अधिनियम के दायरे में आता है। फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ जैन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह बात कही।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने सोमवार को कहा कि 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने के बावजूद जैन समुदाय हिंदू विवाह अधिनियम के दायरे में है। हाई कोर्ट इंदौर फैमिली के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के 8 फरवरी के आदेश के खिलाफ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। फैमिली के न्यायाधीश ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत जैन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी पत्नी की आपसी सहमति से तलाक की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि 2014 में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का सरकारी दर्जा मिलने के बाद इस धर्म के किसी भी अनुयायी को विपरीत मान्यता रखने वाले किसी भी धर्म से संबंधित पर्सनल लॉ का लाभ देना उचित नहीं लगता है।

हाई कोर्ट में अपनी अपील में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने तर्क दिया था कि उसने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया था। अपील को स्वीकार करते हुए जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और संजीव एस कलगांवकर की पीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकालकर गंभीर गलती की है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधान जैन समुदाय के सदस्यों पर लागू नहीं होते। हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी के तहत दायर याचिका को फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया। हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि 8 फरवरी का विवादित आदेश रद्द किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। इंदौर के प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट को कानून के अनुसार याचिका पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता देती है, लेकिन यह किसी भी मौजूदा कानून के स्पष्ट प्रावधान को संशोधित, अमान्य या अधिक्रमित नहीं करती है।

रणजीत टाइम्स
इंदौर, शनिवार 29 मार्च 2025
03
DIGITAL EDITION

केन्द्रीय जेल इंदौर में रोज़ा इफ्तार का आयोजन

कैदियों को मिला भाईचारे और इंसानियत का संदेश!

रंजीत टाइम्स-आदित्य शर्मा

इंदौर। आल इंडिया मुस्लिम मेव विकास परिषद, इंदौर द्वारा हर साल की तरह इस बार भी केन्द्रीय जेल इंदौर में रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद रोज़ा रख रहे कैदियों को इफ्तार की सुविधा देना और उन्हें समाज से जोड़े रखना था।

चौधरी सलाम मेव, अध्यक्ष आल इंडिया मुस्लिम मेव विकास परिषद, इंदौर, ने बताया कि यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि इंसानियत, भाईचारे और सुधार का प्रतीक है।

मुख्य अतिथिः राजेश गोखले एडवोकेट ,सौहेल निसार, हाईकोर्ट एडवोकेट सैय्यद अशहर वारसी , करंट एक्सपोज़ के संपादक मो.अनवर हुसैन, वरिष्ठ नेता ब्रज सोनकर

मेव समाज के नायब सदर साबीर मौलाना जी व मेव सामाजिक कल्याण समिति इन्दौर के अध्यक्ष वाहीद नुर मेव जी थे

विशेष अतिथिः

एडवोकेट अब्दुल हसीब काजी

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव बबलु खान जी

वरिष्ठ पत्रकार मो. आदिल खान आल इंडिया मुस्लिम मेव विकास परिषद के महासचिव अकमल मेव, पत्रकार साधना सक्तावत , अमीर भाई, कासिम बख्तियार जी

जेल विभाग की ओर से :

कार्यक्रम का संचालन उप जेल अधीक्षक संतोष कुमार लड़ियां ने किया। सभी मेहमानों का स्वागत उप जेल अधीक्षक इंदर नागर और भूपेंद्र रघुवंशी ने किया।

सम्मान और आभार व्यक्तः

चौधरी सलाम मेव ने सभी अतिथियों को साफा पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए केन्द्रीय जेल अधीक्षक अलका सोनकर दीदी का विशेष आभार प्रकट किया।

कैदियों को मिला सुधार और सच्चाई का संदेशः

नदीम मौलाना जी ने कैदियों को अपराध से दूर रहने और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। यह कार्यक्रम न केवल धार्मिक भावनाओं को मजबूत करने का प्रयास था, बल्कि कैदियों को सही राह दिखाने का एक कदम भी था।

इंदौर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वृहद जागरूकता अभियान में, यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को फूल देकर सराहा

रंजीत टाइम्स

जिम्मेदार नागरिकों ने स्वयं नियमों का पालन कर, अन्य लोगों से भी हमेशा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित इंदौर शहर में सुगम, सुरक्षित व सुखद यातायात हेतु नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त, नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन व पुलिस उपायुक्त, यातायात प्रबंधन श्री अरविंद तिवारी के दिशा निर्देशन में यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा पलासिया, रेडिसन, टॉवर चौराहा, चाणक्यपुरी चौराहा पर वृहद यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा हैं।

इस जागरूकता अभियान के दूसरे दिन यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा नियमों का पालन करने वाले वाहन चालको को फूल, चॉकलेट देकर सराहना की गई। इस दौरान पलासिया चौराहा पर एक डॉक्टर ने हेलमेट लगाने के फायदे बताए उन्होंने डीसीपी, यातायात प्रबंधन द्वारा फूल देने पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि सिर की चोट बहुत ही घातक होती है, कई जिंदगियां बिना हेलमेट वाहन चलाने से चली जाती है, सभी को अवश्य हेलमेट पहनना चाहिए। टॉवर चौराहा पर एक जिम्मेदार नागरिक ने, न सिर्फ स्वंय हेलमेट पहने हुए थे बल्कि अपने 6 वर्षीय बेटे को भी हेलमेट पहनाया था इस पर यातायात टीम द्वारा सराहना की गई। इसके अतिरिक्त जो समझाईश के बावजूद वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए उन पर कार्रवाई भी की जा रही है।

यातायात पुलिस के अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र, चौराहों पर भ्रमण कर यातायात व्यवस्था में लगे कर्मचारियों/ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस मुहिम के दौरान अनाधिकृत हूटर, बिना नंबर या स्टाइलिश नंबर प्लेट, मोडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने वाले, गलत दिशा में वाहन चलाने वाले, तीन सवारी बैठाने वाले, रेड लाइट का उल्लंघन करने, ब्लेक फ़िल्म आदि वाहनों पर, समझाईश के साथ कार्रवाई भी की जा रही हैं। यातायात पुलिस द्वारा चारों चौराहा पर माइक से अनाउंसमेंट कर वाहन चालकों से यातायात नियमों के पालन में सहयोग की अपील भी की जा रही हैं। अभियान के दौरान यातायात प्रबंधन मित्रो द्वारा चौराहों पर सेवा भी दी गयी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से ललिता हटीला को विवाह की चिंता से मिली मुक्ति

रंजीत टाइम्स

झाबुआ जिले के ग्राम गोपालपुरा में मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग अंतर्गत "मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना" के तहत मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉ मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति में सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही सुश्री ललिता हटीला जिले के विकासखंड पेटलावद की ग्राम अमरगढ़ की निवासी बताती है कि वह एक गरीब कृषक परिवार से है। वह बताती है कि मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं होने कारण मेरी शादी में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण माता-पिता को भी मेरे विवाह की चिंता लगी रहती थी। इसी दौरान मुझे जनपद पंचायत से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में बताया गया कि मुख्यमंत्री के द्वारा निम्न वर्गीय परिवारों के कन्याओं के लिए योजना चलाई जा रही है जिसके माध्यम से गरीब परिवार की बेटियों का विवाह कराया जाता है। तब जिले में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत मेरा फार्म भरा गया है। वह कहती है कि आज जिले के मुखिया मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से मेरी शादी संपन्न हो गई।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा संचालित यह योजना गरीब माता-पिता की बेटियों की शादी की चिंता को दूर कर दिया है, यह मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है जो गरीब माता-पिता के भार को कम कर रहा है। उन्होंने इस योजना का संचालन करने के लिए मुख्यमंत्री श्री डॉ मोहन यादव को हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद दिया है। और कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हम जैसे गरीब व अक्षम लोगों की विवाह कराकर आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कर रहा हैं।

गुड़ी पाडवा से रामनवमी तक सहज योग में ध्यान धारणा

हिंदू धर्म में गुड़ी पड़वा का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा को बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है, इसी दिन से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है व इसी को नववर्ष का आरंभ माना जाता है। गुड़ी पाड़वा को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादी के नाम से जानते हैं। इस त्योहार कश्मीर में नवरेह नाम से प्रसिद्ध है। मणिपुर में गुड़ी पड़वा को साजिबू नोंगमा पानबा के रूप में मनाया जाता है।गुढ़ी पाड़वा के दिन भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस दिन ब्रह्मांड का निर्माण कार्य शुरु किया था। इस दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। गुड़ी पाडवा त्योहार महाराष्ट्र में विशेष उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा के अवसर पर घरों में गुड़ी (विजय पताका चिंह) स्थापित की जाती है, जो समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है।

»»» इसी दिन मराठा साम्राज्य के महान संस्थापक शिवाजी महाराज ने भी अपनी जीत की याद में तथा अपने साम्राज्य के लोगों के बीच शांति, एकता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए गुड़ी पड़वा को मनाया था। सहज योग में नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। आदिशक्ति ने ही नवरात्र में साधकों के लिये संसार की बाधाओं का अंत किया। सहज योगी अपनी नियमित ध्यान के साथ चक्रों पर आसीन मां की अलग अलग छवि का ध्यान, प्रार्थना और आराधना करते हैं, परमपूज्य श्री माताजी निर्मला देवी प्रणीत सहज योग चक्रों पर नियमित ध्यान धारणा है और नवरात्र देवी के स्वरूप के क्रम के अनुसार ही सुक्ष्म शरीर में चक्रों का भी स्थान है।

»»» प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के रुप में हम

मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हैं। माँ शैलपुत्री का जन्म हिमालय पर्वत पर होने के कारण ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन साधक प्रार्थना में माँ से अबोधिता व सत सत विवेक बुद्धि मांगते हैं, जो मूलाधार चक्र का गुण है।

»»» दूसरा स्वधिष्ठान चक्र है और माँ के दूसरे रुप ब्रम्हचारिणी का स्थान भी इसी चक्र पर है। इस दिन हम शुद्ध विद्या व कलात्मकता के लिए ध्यान करते हैं क्योंकि यही स्वधिष्ठान चक्र का गुण है। मां ब्रम्हचारिणी विद्या व कला की देवी हैं।

»»» माँ का तिसरा रुप मां चंद्रघंटा का है व स्थान है मणीपुर या नाभी। इस चक्र पर ध्यान कर साधक संतोषी व धार्मिक बनता है क्योंकि यही नाभी चक्र का गुण है।

»»» चौथे दिन कूष्माण्डा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन 'अनाहत या हृदय' चक्र में अवस्थित होता है। यहाँ ध्यान कर साधक निर्भय व आत्मविश्वासी बनता है।

»»» पांचवे दिन की माँ स्कंदमाता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। विशुद्धि चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। मां स्कंदमाता की उपासना से उपासक साक्षी भाव प्राप्त करता है व उसकी वाणी मधुर हो जाती हैं।

»»» मां कात्यायनी, देवी दुर्गा के छठे स्वरूप हैं, और नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन 'आज्ञा चक्र' में स्थित होता है। योग साधना में, आज्ञा चक्र को महत्वपूर्ण माना जाता है, जो दोनों आँखों के बीच, माथे के केंद्र में स्थित होता है। क्षमाशीलता इस चक्र का गुण है।

»»» मां कालरात्रि नवरात्रि के सातवें दिन पूजी जाती हैं व सहस्त्रार चक्र में विराजमान हैं। यहाँ का ध्यान साधक के मन को शुद्ध चेतना से भर देता है और ब्रह्माण्ड की समस्त सिद्धियों का द्वार खोलता है। सहस्त्रार चक्र हमारे सिर के उपर तालु भाग में स्थित है।

- महागौरी देवी का अष्टमी के दिन पूजन का विधान है। सहज योग में हम सहस्त्रार के उपर विराजमान मां गौरी की आराधना करते हैं। इनके ध्यान से पूजन करने से समस्त सुख की प्राप्ति व दुखों का क्षय होता है व ईश्वरीय साम्राज्य का सुख मिलता है।

»»» नौवें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है जो अपने नाम के अनुरुप, सिद्धि देने वाली हैं, सभी चक्रों के संतुलित होने के उपरांत साधक में हर गुण प्रस्थापित होते हैं यानि साधक सर्वगुणसम्पन्न हो जाता है। देवी पुराण कहता है भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की।हम मानवों को ईश्वरीय अनुभूति देने के लिए ही हमारी परमपूज्य श्री माताजी ने सहज योग की स्थापना की है। नवरात्रि के पावन अवसर पर सहज योग को गहनता से समझने,जुड़ने और आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करने हेतु अपने नज़दीकी सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 से प्राप्त कर सकते हैं या वेबसाइट www.sahajayoga.org.in पर देख सकते हैं। सहज योग पूर्णतया निशुल्क है।

महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव का नवाचार: निगम परिषद के ढाई साल के कामकाज का लेखा-जोखा किया प्रस्तुत

रंजीत टाइम्स

इंदौर। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में नगर निगम परिषद के पार्षदों की "पार्षद कार्यशाला" का आयोजन किया गया। इस विशेष बैठक में भाजपा संगठन मंत्री श्री हितानंद शर्मा, मंत्री श्री तुलसी सिलावट और विधायकगणों की उपस्थिति में सभी 67 भाजपा पार्षदों ने अपने वार्ड में किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक का उद्देश्य पार्षदों को उनके वार्डों में किए गए विकास कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ उनकी वक्तव्य कला को विकसित करना था, जिससे वे जनता से अधिक प्रभावी संवाद स्थापित कर सकें। महिला पार्षदों को विशेष रूप से मंच प्रदान किया गया, ताकि वे बिना किसी सहयोगी की मदद के अपने विचार व्यक्त कर सकें।

महापौर भार्गव ने किया नवाचार

महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, "पार्षद कार्यशाला के माध्यम से पार्षदों को केवल वार्ड विकास ही नहीं, बल्कि निगम परिषद के बजट और प्रशासनिक प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है।" उन्होंने

पार्षदों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आने वाले ढाई साल में इंदौर को विश्व गौरव बनाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे।

दिनभर चली समीक्षा बैठक

सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चली इस बैठक में पार्षदों ने वार्डों में हुए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कितना बजट खर्च हुआ और भविष्य की योजनाएँ क्या हैं, इस पर भी चर्चा की गई। खास बात यह रही कि पार्षद पतियों व पीए को बैठक से बाहर रखा गया, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि ही सीधे अपने काम पर चर्चा करें

यह पहला अवसर है जब प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री के समक्ष नगर निगम परिषद के पार्षदों ने इस तरह अपने कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। महापौर भार्गव ने इस नवाचार के माध्यम से पार्षदों को शहरी प्रशासन और बजट प्रबंधन में और अधिक कुशल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि जीवन में स्कूल एवं कॉलेज के समय में ओर जब आप प्रोफेशनल दुनिया में आते है तो अलग अलग दोस्त बनते हैं मेरे भी दोस्त बने और भाजपा से टिकट मिला और मेयर बनने के बाद मेंरा परिवार बना है वो है इंदौर के भाजपा परिवार के 67 पार्षद जो मेरा परिवार है। यह मेरे लिए उपलब्धि है। लोकतांत्रित सिस्टम से नगरीय निकाल कैसे चले इसकी व्यवस्था हमने की है पांच साल में हम अपना पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे करें सकते है इस विषय पर भी सोचे, नगर निगम की आर्थिक स्थिति पहले के जैसे नहीं है ।आने वाले दो साल में आप जो काम कहोगे वो हम करने की स्थिति में है ,हम अपने शहर के बारे में कुछ भी बोल देते है जब आप दूसरे शहरों में जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपका शहर दूसरे शहरों से कितना बेस्ट है। हमें शहर के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे,इसकी हमे चिंता कर है।हमारा अपने लोगों से संवाद हमेशा बना रहना चाहिए। हम अपने कार्यों को जनता तक पहुंचने का काम भी करें।

मोदी मंत्र 34

स्वास्थ्य ही धन है

इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने प्र धानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रे रक विचारों और मन की बात की प्रे रणास्पद जानकारी को एक सूत्र में पिरोने का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने इन विचारों को 100 मोदी मंत्र पुस्तक के रूप में संकलित कर हम सबको पढ़ने का मौका दिया है। कुछ लोग तो पुस्तक खरीद कर पढ़ भी लेंगे। लेकिन बहुत से लोग नहीं पढ़ पाएंगे। कम आन इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र ने उन लोगों की सुविधा के लिए पुस्तक के अंश आगामी अंकों में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। 34वां मंत्र है स्वास्थ्य ही धन है।

आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत मोदी सरकार की स्वास्थ्य सेवा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2017 में, देखभाल के परिदृश्य को पुनर्गठित करने और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की गईं।

एक अग्रणी कार्यक्रम आयुष्मान भारत था, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। महत्वाकांक्षी दायरे में, आयुष्मान भारत ने भारत की आधी से अधिक आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का प्रयास किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थी भाग लेने वाले सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में चिकित्सा समस्याओं और ऑपरेशनों के लिए कैशलेस उपचार

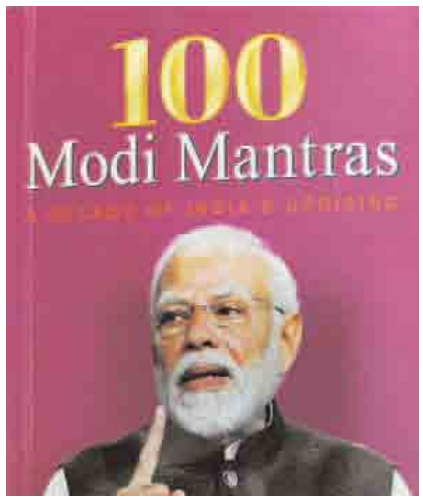

प्राप्त कर सकते हैं।

आयुष्मान भारत ने विशेष रूप से उन वित्तीय बाधाओं को लक्षित किया है जो लाखों लोगों को स्वास्थ्य सेवा से वंचित कर रही हैं, खासकर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को। बीमा कवरेज की गारंटी देकर प्रति परिवार 500,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से, इसने संकटग्रस्त परिवारों को विनाशकारी लागतों से बचाने तथा वित्तीय तनाव के बिना समय पर, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया। आयुष्मान भारत के पूरक के रूप में, पूरे भारत में स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए अन्य पहलों का अनावरण किया गया। 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने सार्वभौमिक कवरेज और जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की। इसने प्राथमिक देखभाल, निवारक उपायों को मजबूत करने और पहुंच और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए खर्च बढ़ाने को प्राथमिकता दी। स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता और स्वास्थ्य पर भी प्रकाश डाला गया। 2014 में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना और देश भर में सुविधाओं को बढ़ावा देना था। स्वच्छता और स्वास्थ्य को जोड़कर, रोकथाम योग्य बीमारियों, लागतों और व्यापक परिणामों में सुधार किया जा सकता है। इन विविध प्रयासों के माध्यम से, सरकार ने एक स्वस्थ, अधिक समृद्ध भारत की कल्पना की, जहाँ नागरिकों को देखभाल के लिए किसी वित्तीय बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया गया, साथ ही राष्ट्रीय लचीलापन भी विकसित हुआ। आयुष्मान भारत आज के समय में इतनी बड़ी योजना है कि हर गली-मोहल्ले में वो गरीब लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिन्होंने कभी अस्पताल जाने के बारे में सोचा भी नहीं होगा और मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं। यह निस्संदेह एक साहसिक कदम था और इसने सरकार के पक्ष में सबसे अच्छा काम किया।

मोदी मंत्र 35

डिजिटल फ़ुटप्रिंट का विस्तार करें

सभी भारतीयों के लिए डिजिटल अवसर ई डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाने और पूरे देश में किफायती हाई-स्पीड इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2017 में, विभिन्न पहलों ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार को गति दी और जुड़े और असंबद्ध क्षेत्रों के बीच की खाई को कम किया। एक महत्वपूर्ण उपक्रम था प्रोजेक्ट भारतनेट, जिसे भारत के हर ग्राम परिषद को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने देश भर में 250,000 से अधिक ग्रामीण नगर पालिकाओं को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाया। अत्याधुनिक तकनीक और रणनीतिक गठबंधनों का लाभ उठाकर, भारतनेट का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में डिजिटल परिवर्तन को सक्षम करना, समुदायों को सशक्त बनाना और ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाना था। डिजिटल इंडिया के तहत परिकल्पित भारतनेट दूरदराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करके असमानताओं को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय था। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए, इसने डिजिटल युग में नागरिकों को सूचना, संसाधन और संभावनाओं के साथ सशक्त बनाने की उम्मीद की। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए, यह परियोजना जमीनी स्तर पर डिजिटल एप्लिकेशन और सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम होगी। इसके अतिरिक्त, ÷सभी के लिए ब्रॉडबैंड÷ पहल ने प्रत्येक नागरिक के लिए किफायती, उपलब्ध ब्रॉडबैंड के लिए प्रयास किया। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, तकनीक अपनाने को बढ़ावा देने और कम सेवा वाले स्थानों में रोलआउट की सुविधा जैसे उपायों का उद्देश्य ब्रॉडबैंड की पहुंच का विस्तार करना था। दूरसंचार प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देकर, समाज के सभी लोगों के लिए किफायती, गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट पहुँच लक्ष्य बन गई। इसके अलावा, सरकार ने कनेक्टिविटी से पूरा लाभ उठाने के लिए डिजिटल साक्षरता और कौशल प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित किया। डिजिटल इंडिया कौशल विकास और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण व्यक्तियों को डिजिटल दक्षता प्रदान करना, डिजिटल उपकरणों और सेवाओं के प्रभावी उपयोग को सशक्त बनाना है। मोदी सरकार ने ठोस प्रयासों के ज़रिए पूरे भारत में डिजिटल पदचिह्नों को व्यापक बनाने, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानताओं को कम करने और डिजिटल युग में नागरिकों को ऑनलाइन जानकारी, संसाधनों और अवसरों से सशक्त बनाने का इरादा किया है। समावेशन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए, सरकार ने पूरे भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास, नवाचार और समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता को उजागर करने की उम्मीद की।

मोदी मंत्र 36

हरित कल के लिए स्वच्छ ऊर्जा

हरित कल के लिए ऊर्जा की बचत - उज्ज्वला योजना सतत विकास को बढ़ावा दे रही है अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और सतत विकास की आदतों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की उत्सुकता। वर्ष 2017 तक, प्रशासन ने स्वच्छ ऊर्जा की स्वीकृति को बढ़ावा देने और पूरे देश में पर्यावरण क्षरण को रोकने के उद्देश्य से कई भव्य परियोजनाओं की शुरुआत की। वर्ष 2017 में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल जिसे उज्ज्वला योजना कहा जाता है। इस व्यापक योजना की प्रमुख महत्वाकांक्षा भारतीयों के ग्रामीण घरों के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के रूप में स्वच्छ पका हुआ ईंधन प्रदान करना था। तब से, पारंपरिक ठोस ईंधन जैसे कि जलाऊ लकड़ी, गाय का गोबर और लकड़ी का कोयला आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है; हालाँकि, ऐसे ईंधन बड़े पैमाने पर इनडोर वायु समस्याएँ पैदा करते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। इस योजना के तहत, उपयुक्त परिवारों को चूल्हा, गैस और सिलेंडर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ मानार्थ एलपीजी कनेक्शन मिलते हैं। गैस का लक्ष्य गंदे खाना पकाने के तरीकों को अधिक स्वच्छता-अनुकूल विकल्पों के साथ बदलना था। उज्ज्वला योजना ने विशेष रूप से असहाय और आर्थिक रूप से बदकिस्मत परिवारों, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे और हाशिए पर पड़े लोगों को लक्षित किया। स्वच्छ ईंधन तक पहुँच में सहायता करके, सरकार लाखों घरों, मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाना चाहती थी, जो घर के अंदर के वायु प्रदूषण से बहुत पीड़ित हैं। यह महिलाओं को जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने से मुक्त करके और उन्हें अधिक उपयोगी व्यवसायों में लगाकर उन्हें सशक्त बनाने की आकांक्षा रखती है।

मोदी मंत्र 37 : वंचितों को सशक्त बनाना

वंचितों को सशक्त बनाना, राष्ट्र का उत्थान करना- अंत्योदय का समावेशी विकास समावेशी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की प्रगतिशील यात्रा में कोई भी छूट न जाए। 2017 में, प्रशासन ने हाशिए पर पड़े समुदायों की परेशानियों को दूर करने और पूरे देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई प्रभावशाली परियोजनाओं की शुरुआत की।

इस प्रतिज्ञा की कुंजी अंत्योदय अवधारणा है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए तैयार की गई एक प्रमुख परियोजना है। अंत्योदय के माध्यम से, मुख्य कल्याण सहायताएँ सबसे ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जाती हैं, जैसे बेघर, बुजुर्ग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति और अत्यधिक अभाव में रहने वाले लोग। भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करके, सरकार का लक्ष्य हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाना है मोदी के प्रशासन पथ ने शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से समावेशी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना को लागू किया। प्रशासन ने वंचित समूहों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाएँ और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ शुरू कीं। कृषकों के लिए वित्तीय सहायता से लेकर महिलाओं के लिए मातृत्व सहायता और बुजुर्गों के लिए पेंशन योजनाओं तक, इन परियोजनाओं का उद्देश्य गरीबी को कम करना और हाशिए पर पड़े लोगों की भलाई को बढ़ाना था। उनकी तत्काल जरूरतों और कमजोरियों को संबोधित करके, सरकारें एक अधिक समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण समाज बनाना चाहती थीं। मोदी प्रशासन ने बुनियादी ढांचे के विकास और ग्रामीण उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया, जो समावेशी विकास के मुख्य स्तंभों के रूप में होता है। सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी भौगोलिक स्थिति में हों, भारत की विकास गाथा में भाग ले सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। इन प्रयासों के माध्यम से मोदी सरकार ने वंचितों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। हाशिए पर पड़े समुदायों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देकर और उनकी कठिनाइयों से निपटने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करके, प्रशासन का लक्ष्य एक अधिक न्यायपूर्ण, अधिक प्रतिरोधी और अधिक समृद्ध देश का निर्माण करना है, जहां प्रत्येक नागरिक के पास सामूहिक कल्याण में योगदान करने और समृद्ध होने की क्षमता हो।

उज्ज्वला योजना के अलावा, मोदी सरकार ने भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की। स्वच्छ तकनीक को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है, उदाहरण के लिए, सौर छतों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सब्सिडी, और सौर पार्क और पवन फार्मों का निर्माण। सरकार ने राष्ट्रीय मिशन संवर्धित ऊर्जा दक्षता और प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना सहित पहलों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता और संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया। इन ब्लूप्रिंट का उद्देश्य उद्योगों, इमारतों और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता प्रथाओं का प्रचार करना था, जिससे ऊर्जा की खपत में कमी आए, कार्बन उत्सर्जन कम हो और सतत विकास को बढ़ावा मिले। मोदी सरकार ने समन्वित प्रयासों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने, पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने और पूरे देश में सतत विकास मानदंडों को विकसित करने का प्रयास किया। उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रमों पर जोर देकर और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर, सरकार ने भारत के लिए एक स्वच्छ, हरित और अधिक प्रतिरोधी भविष्य का निर्माण करने का प्रयास किया।

ब्लॉक कर दीं अवैध ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म की 357 वेबसाइट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेशों से अवैध रूप से संचालित आनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफार्म की 357 वेबसाइट, यूआरएल को ब्लाक किया गया है और ऐसी ही 700 प्लेटफार्म वर्तमान में जांच के दायरे में हैं। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआइ) ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस अवैध कृत्य में में घरेलू और विदेशी दोनों आपरेटर शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह देखा गया है कि ये प्लेटफार्म टैक्स छुपाने के लिए बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से गेम संचालित कर रहे हैं साथ ही जीएसटी की चोरी भी कर रहे हैं। डीजीजीआई ने आइटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के तहत इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग में विदेशों से (आफशोर) अवैध रूप से संचालित ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफार्म की वेबसाइटों को ब्लॉक किया है। जीएसटी कानून के तहत आनलाइन मनी गेमिंग माल की आपूर्ति के रूप में वर्गीकृत है और इस पर 28 प्रतिशत टैक्स लगता है। इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। हाल ही में कुछ अवैध गेमिंग प्लेटफार्म के खिलाफ एक अभियान में डीजीजीआइ ने आइ4सी और नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआइ) के साथ मिलकर यूजर से पैसे इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बैंक खातों को टारगेट कर ब्लॉक किया है। इस अभियान में लगभग 2,000 बैंक खाते और चार करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि एक अन्य कार्रवाई में इन प्लेटफार्मों में से कुछ की वेबसाइटों पर पाए गए यूपीआइ आइडी से जुड़े 392 बैंक खातों को डेबिट फ्रीज कर दिया गया है और इन खातों में कुल 122.05 करोड़ रुपये की राशि अस्थायी रूप से जब्त की गई है। मंत्रालय ने कहा कि कई बालीवुड हस्तियां और क्रिकेटर, यूट्यूब, वाट्सएप और इंस्टाग्राम के इंफ्लूएंसर्स के साथ इन प्लेटफार्म को सपोर्ट करते हैं। इसलिए जनता को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और आनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफार्म से न जुड़ें, क्योंकि यह उनके पैसे को खतरे में डाल सकता है।

अवैध ई-रिक्शा पर चलेगा सरकार का चाबुक, लागू होगा रेटिंग सिस्टम

नई दिल्ली। शहरों और गांवों में परिवहन की सुविधा के साथ मुसीबत भी बने ई-रिक्शा की संख्या 50 लाख से अधिक हो सकती है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में पिछले पांच साल में 16 लाख ई रिक्शा का पंजीकरण हुआ है। इनमें दिल्ली में डेढ़ लाख पंजीकृत ई रिक्शा हैं। एक अनुमान है कि सड़कों पर जो ई रिक्शा चल रहे हैं, उनमें 40 प्रतिशत ई रिक्शा का संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा है। दिल्ली के परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार मोटे तौर पर संभवत- 40,000 ई रिक्शा अवैध रूप से चल रहे हैं। 2020 में केवल 70,000 ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जबकि अगले दो सालों में इनकी संख्या चार लाख पहुंच गई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से गत दिवस लोकसभा में दिए गए जवाब में कहा गया है कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2024 तक 16,18,941 ई रिक्शा का पंजीकरण हुआ है। सरकार से पूछा गया था कि क्या देश में ई रिक्शा की अनुचित तरीके से बिना रोकटोक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है।मंत्रालय ने जानकारी दी कि पूरे देश में 740 ई रिक्शा निर्माण इकाइयां पंजीकृत हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के मुताबिक ई रिक्शा के प्रोटोटाइप को मंजूर कराना आवश्यक है।

ई रिक्शा संचालन में इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी किसकी?

मंत्रालय ने कहा है कि ई रिक्शा संचालन में इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्रीय स्तर पर मंत्रालय ने बैटरी संचालित रिक्शा के प्रस्तावित मानकों और सुरक्षा आकलन के लिए रेटिंग सिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से एक तकनीकी समित का गठन किया है। यह रेटिंग सिस्टम कारों के लिए बनाए गए न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम (एनसीएपी) के अनुरूप होगा।

राजनीति

मुस्लिम आरक्षण का मोह नहीं छोड़ पा रही कांग्रेस

कांग्रेस ने शायद ठान ली है कि चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े पर वोट बैंक के लिए मुसलमानों से प्रेम कम नहीं होने वाला। ऐसे ही कारणों से कांग्रेस न सिर्फ केंद्र की सत्ता से बल्कि ज्यादातर राज्यों में भी सत्ता से बाहर है। दूसरे शब्दों में कहें तो कांग्रेस के कथित मुस्लिम प्रेम ने भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का रास्ता आसान कर दिया। कांग्रेस की इस नीति ने खुद को तो दरबदर कर ही दिया, इससे देश के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया।

कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण देकर फिर से विवाद खड़ा कर दिया। कर्नाटक सरकार ने सरकारी टेंडर में अब टेंडर भरने वाले मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण दे दिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट मीटिंग इस प्रस्ताव को मंजूर भी कर लिया। इससे एक करोड़ रुपये तक की निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। कांग्रेस के इस फैसले से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। कर्नाटक सरकार के इस निर्णय ने भाजपा को कांग्रेस और मुसलमानों के खिलाफ फिर से नया हथियार थमा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव राहुल गांधी के पूर्ण संरक्षण में पारित किया गया है। हम यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता पर निशाना साधते हुए प्रसाद ने कहा कि कर्नाटक सरकार का कदम राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक के जरिए देशभर के मुसलमानों के प्रति मोहब्बत दर्शाने का कांग्रेस का यह पहला मौका है, इससे पहले भी कर्नाटक में मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर विवाद रहा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में शामिल किया था। सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट में जगह दी। मध्य प्रदेश की चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को ओबीसी समुदाय का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए कहा था कि एक बार फिर कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से ओबीसी के साथ सभी मुस्लिम जातियों को शामिल करके कर्नाटक में धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया है। विवाद बढ़ा तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यह दावा करना कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों से मुसलमानों को आरक्षण ट्रांसफर कर दिया, एक सरासर झूठ है। गौरतलब है कि यह आरक्षण पहली बार 1995 में एचडी देवेगौड़ा की जनता दल ने कर्नाटक में लागू किया था। दिलचस्प बात यह है कि देवगौड़ा की जद (एस) अब बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सहयोगी है। केरल में ओबीसी को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय को नौकरियों में 8 प्रतिशत और उच्च शिक्षा में 10 प्रतिशत कोटा प्रदान किया गया। तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 3.5 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की 95 प्रतिशत जातियां शामिल हैं। इसी तरह बिहार में ओबीसी को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।

कांग्रेस ही नहीं किसी न किसी बहाने मुस्लिम वोट बैंक पर गैरभाजपा दलों की भी खीचतान रही है। विपक्षी दलों का प्रयास रहा है कि किसी भी तरह यह अल्पसंख्यक वोट बैंक छिटकना नहीं चाहिए, यही वजह है कि साफ तौर पर धर्म के आधार पर आरक्षण को राजनीति का मोहरा बनाया गया।

क या आपको पता है

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में महत्वपूर्ण बड़े बदलाव

IRDAI ने हाल ही में स्वास्थ्य बीमा विनियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं ताकि पॉलिसियों को अधिक ग्राहक-अनुकूल बनाया जा सके। बड़े बदलावों में, IRDAI ने 60 महीने तक प्रीमियम चुकाने पर क्लेम खारिज न करने, पहले से मौजूद बीमारियों की प्रतीक्षा अवधि कम करने, और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी बीमा उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं।

60 महीने प्रीमियम भुगतान के बाद क्लेम खारिज नहीं-

IRDAI ने एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया है जिसके अनुसार, अगर कोई व्यक्ति लगातार 60 महीने तक प्रीमियम का भुगतान करता है, तो बीमा कंपनी नॉन-डिसक्लोजर या मिसरिप्रजेंटेशन के आधार पर क्लेम को खारिज नहीं कर सकती.

पहले से मौजूद बीमारियों की प्रतीक्षा अवधि कम-

पहले से मौजूद बीमारियों के लिए प्रतीक्षा अवधि को 4 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है.

65 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बीमा-

IRDAI ने सभी आयु समूहों के लिए स्वास्थ्य बीमा उत्पाद पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें 65 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी बीमा उपलब्ध है.

कैशलेस इलाज की सुविधा-

सरकार ने सभी सरकारी बीमा कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत सभी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया है.

क्लेम सेटलमेंट में तेजी-

IRDAI ने क्लेम सेटलमेंट के लिए समय सीमा निर्धारित की है, जिसके अनुसार बीमा कंपनियों को मरीज के डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट मिलने के 3 घंटे के भीतर क्लेम सेटल करना होगा.

ये भी जान लें

वरिष्ठ नागरिकों के लिए लक्षित पॉलिसियाँ- आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशिष्ट पॉलिसियाँ बनाने का भी आग्रह किया है ।

समर्पित शिकायत चैनल- बीमा कंपनियों को वरिष्ठ नागरिकों के दावों और शिकायतों के समाधान के लिए विशेष रूप से अलग चैनल स्थापित करने चाहिए, जिससे बुजुर्ग ग्राहकों के लिए प्रक्रिया आसान हो सके।

5 वर्षों के बाद विवाद न करने योग्य- एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि बीमाकर्ता पॉलिसी के प्रभावी होने के पांच वर्षों के बाद गैर-प्रकटीकरण या गलत बयानी के आधार पर दावों को अस्वीकार नहीं कर सकते।

धोखाधड़ी के लिए अपवाद- हालांकि, यदि बीमाकर्ता को धोखाधड़ी का पता चलता है, तो वे पांच साल बाद भी पॉलिसी को चुनौती दे सकते हैं या अदालत में दावा कर सकते हैं ।

नो-क्लेम लाभ- यदि पॉलिसीधारक वर्ष के दौरान कोई दावा नहीं करते हैं, तो वे अगले वर्ष के लिए अपनी बीमा राशि बढ़ाने या अपनी प्रीमियम राशि कम करने का विकल्प चुन सकते हैं।

आनुपातिक वापसी- पॉलिसीधारक अब किसी भी समय अपनी पॉलिसी बंद कर सकते हैं और आनुपातिक आधार पर प्रीमियम की वापसी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने एक साल के लिए 12,000 रुपये का भुगतान किया है और छह महीने बाद रद्द करने का फैसला करता है, तो उसे 6,000 रुपये वापस मिलेंगे।

दावा अस्वीकार होने पर धन वापसी- इसके अतिरिक्त, यदि कोई बीमाकर्ता दावा अस्वीकार कर देता है, तो पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी बंद करने का विकल्प चुन सकते हैं और प्रीमियम के अप्रयुक्त हिस्से के आधार पर आंशिक धन वापसी प्राप्त कर सकते हैं।

दावा समीक्षा समिति (सीआरसी)- बीमा कंपनियों को अब किसी भी अस्वीकृत दावे की समीक्षा के लिए एक दावा समीक्षा समिति गठित करने की आवश्यकता है।

अस्वीकृति के लिए अनुमोदन आवश्यक- बीमाकर्ता केवल समिति की स्वीकृति के बाद ही दावों को अस्वीकार कर सकते हैं, और उन्हें अस्वीकृति के लिए प्रासंगिक पॉलिसी नियमों और शर्तों का संदर्भ देते हुए विशिष्ट कारण बताने होंगे।

सरलीकृत दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया

प्रत्यक्ष दस्तावेज़ संग्रह- बीमा कंपनियों या उनके तृतीय-पक्ष प्रशासकों (टीपीए) को अस्पतालों से सीधे आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करने होंगे, जिससे पॉलिसीधारकों को दावा करने के लिए एक ही दस्तावेज़ को कई बार प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

सिर्फ पढ़ाई नहीं जॉब पाना भी जरूरी!

सीबीएसई ने जारी की गाइड

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माता-पिता के लिए एक हैंडबुक जारी करना शुरू की है जिससे वे अपने बच्चों को करियर विकल्पों के बारे में सचेत कर सकें। इसके साथ-साथ प्रवेश परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के वर्टिकल पर भी गाइड की घोषणा की है। वर्तमान में कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा जारी हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल के बाद करियर विकल्पों पर माता-पिता के लिए एक हैंडबुक से संबंधित एक नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने कॉम्पटीशन से भरे जॉब मार्केट को ध्यान में रखते हुए माता-पिता के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि वे अपने बच्चों के करियर को सही दिशा दे सकें। इस मार्गदर्शिका में बहुमूल्य जानकारियां और व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं, जिससे स्कूल, माता-पिता और अभिभावक अपने बच्चों को प्रभावी रूप से करियर विकल्पों की खोज करने में मदद कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिस में लिखा है, करियर मार्गदर्शन छात्रों को उनके भविष्य के बारे में सही निर्णय लेने में बहुत जरूरी होता है। आज के निरंतर विकसित होते और गतिशील नौकरी बाजार में, स्कूलों, माता-पिता और अन्य संबंधित पक्षों के बीच सहयोग जरूरी है, ताकि छात्रों को सही उपकरण और जानकारी उपलब्ध कराई जा सके, जिससे वे सार्थक करियर विकल्प चुन

इस सत्र से चार कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी की नई पुस्तकें

नई दिल्ली। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत चौथी, पांचवीं, सातवीं और आठवीं कक्षाओं की एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकें भी अब तैयार हो चुकी है। इनमें चौथी और सातवीं कक्षाओं की नई पुस्तकें 31 मार्च तक ही बाजार में आ जाएंगी, जबकि पांचवीं व आठवीं की सभी पुस्तकें पंद्रह मई तक आएंगी। यानी एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में चौथी, पांचवीं, सातवीं और आठवीं कक्षाओं के बच्चे भी एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकों से पढ़ाई करेंगे। एनसीईआरटी ने इसके साथ ही पांचवीं व आठवीं कक्षाओं के लिए एक ब्रिज कोर्स भी तैयार किया है। इसकी भी पाठ्यपुस्तकें तैयार हो गई है, जो 31 मार्च तक बाजार में आ जाएगी। नई पाठ्यपुस्तकों के नाम पहली, दूसरी व तीसरी कक्षाओं की पुस्तक की तरह वीणा, मृदंग व सारंगी आदि रखा गया है। इनमें सिर्फ कक्षाएं व उसके आवरण में बदलाव किया गया है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें अब अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अब तक एनईपी के तहत एनसीईआरटी की बालवाटिका से लेकर पहली, दूसरी, तीसरी व छठवीं कक्षा की नई पाठ्यपुस्तकें आ चुकी है। जबकि चौथी, पाचंवीं, सातवीं व आठवीं की पुस्तकें इस साल आ रही है। बाकी नौ से बारहवीं कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकें अगले शैक्षणिक तक आएंगी।

'नामांतरण' - 'लीज रिन्यूअल' के लिए नहीं काटने होंगे ऑफिस के चक्कर

इंदौर : इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) में अब तक संपत्तिधारक को कोई भी काम कराने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं होगा, आइडीए ने ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर दिया है। लीज रिन्यूअल, फ्री होल्ड और नामांतरण जैसे प्रकरणों के आवेदन पोर्टल से ही भरे जाएंगे। जो नहीं भर सकते हैं उनके लिए आइडीए में ही एक टेबल लगाई जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने कॉलोनी सेल का काम भी ऑनलाइन कर दिया, जिसमें विकास अनुमति और कॉलोनाइजर लाइसेंस के आवेदन किए जा सकते हैं। फाइल कहां अटकी है और किसने अटका रखी है ये सबकुछ ऑनलाइन नजर आएगा। आइडीए सीईओ आरपी अहिरवार ने बताया जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते है उनके लिए सहायता केंद्र बनाया जाएगा जिस पर कर्मचारी मौजूद रहेंगे। आने वालों के आवेदन खुद भरेंगे। आइडीए ने भी ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया है। आवेदक को वर्तमान में लीज रिन्यूअल, फ्री होल्ड और नामांतरण का आवेदन करने के लिए आइडीए आना पड़ता था। काम करने के लिए आठ से दस चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन इस प्रक्रिया से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद फाइल खुद-ब-खुद आगे बढ़ेगी। इंजीनियर को समय सीमा में रिपोर्ट लगानी होगी तो संपदा अधिकारी को निराकरण करना होगा।

राजनीतिक दलों के साथ विचार- विमर्श जारी

चुनाव सुधार : आधार से लिंक होगा वोटर कार्ड

चुनाव आयोग ने फ़ैसला किया है कि वोटर कार्ड को आधार के ज़रिए लिंक किया जाएगा. इस संबंध में आयोग जल्दी ही इसके तकनीकी पहलू पर काम करने की शुरुआत करने जा रहा है. इस कवायद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने यूआईडीएआई के सीईओ और केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक की है.

इस बैठक में ये सहमति बनी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किए बिना वोटर कार्ड के एपिक नंबर (ईपीआईसी) को आधार से कनेक्ट किया जाएगा. चुनाव आयोग ने कहा कि देश के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है. आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है.

आयोग ने कहा, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि ईपीआईसी को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 (4), 23 (5) और 23 (6) के प्रावधानों के अनुसार तथा डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही किया जाएगा.

विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है. पार्टी ने कहा है कि चुनाव आयोग को इस बात का ख़याल रखना है कि इस प्रक्रिया में कहीं कोई मतदाता छूट नहीं जाए. इसलिए, सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए.

भारत में साल 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक़, तक़रीबन 97 करोड़ 97 लाख मतदाता हैं. वहीं, साल 2019 के चुनाव में तक़रीबन 91 करोड़ 20 लाख मतदाता थे. साल 2024 के चुनाव में 64 करोड़ 64 लाख लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया था. वहीं, साल 2019 के चुनाव में ये आंकड़ा 61.4 करोड़ था. यूआईडीएआई के मुताबिक़, सितंबर 2023 तक भारत में 138 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड था. इसमें दो तरह से आधार को वोटर कार्ड से लिंक किया जा सकता है. नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के ज़रिए, अपना अकाउंट बनाकर ये प्रक्रिया स्वयं पूरी की जा सकती है. पोर्टल में लॉगिन के बाद अपना नाम, ईमेल आईडी और आधार नंबर डालकर ओटीपी के ज़रिए सत्यापित करना है. अगर मोबाइल आधार से लिंक नहीं है, तो आधार की कॉपी अपलोड कर सकते हैं. 'पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा, चुनाव आयोग ये कोई नई बात नहीं कर रहा है. साल 2010 में जब मैं सीईसी था, तब इसको आगे बढ़ाया गया था. तब यूआईडीएआई के सीईओ नंदन नीलेकणी के साथ कई दौर की बैठक भी हुई थी.

स्वास्थ्य

मुंह की सफाई के लिए दांतों को ठीक से करें ब्रश

छोटा ब्रश मुंह के अंदर दांतों को अच्छे से साफ़ करने में कारगर रहता है. यह भी ज़रूरी है कि आप ब्रश को ख़राब होने से पहले बदल लें. जब से टूथपेस्ट में फ्लोराइड का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, तब से दांतों में सड़न की समस्याएं कम हुई हैं. अच्छे से ब्रश करना केवल दुर्गंध, पीले दांत और दांतों में सड़न से नहीं बचाता है, बल्कि यह डायबिटिज़ और दिल की बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है.

दांतों को अच्छे से ब्रश करने का फ़ायदा यह होता है कि इससे लंबे समय तक बनी रहने वाली बीमारियों के होने की आशंका कम हो जाती है. इसके साथ-साथ आपके दांत और मसूड़े भी मज़बूत होते हैं. मगर, हम लोगों में से अधिकांश यह काम ग़लत ढंग से करते हैं. कम से कम दंत विशेषज्ञों का तो यही कहना है. एक स्टडी से पता चला है कि दस में से एक व्यक्ति ही दांतों को अच्छे से ब्रश करने की तकनीक का इस्तेमाल करता है. इसमें यह बात सामने आई कि आधे से ज़्यादा लोगों को यह नहीं मालूम था कि अपने दांतों को अच्छे से ब्रश कैसे किया जाए. इस बात की संभावना ज़्यादा है कि जिस किसी को भी उनके डेंटिस्ट की ओर से ब्रश करने का सही तरीका नहीं बताया गया है, वो ग़लत ढंग से ब्रश करता हो. देश में आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसे ही लोगों का होगा, जिन्हें ठीक से ब्रश करने के बारे में नहीं पता होगा. कई मरीज समझते हैं कि उनको दांतों में फंसे खाद्य पदार्थों के बचे अवशेष हटाने की ज़रूरत है. मगर, वो केवल आंशिक सच है. दरअसल, दांतों से जीवाणु निकालना ज़्यादा ज़रूरी है. यह कहना कि दांतों को ब्रश करना एक ग़लत प्रयोग है. बजाए इसके, मसूड़ों को ब्रश करने के बारे में सोचें कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि ऐसा करने पर दांत अपने आप साफ़ हो जाएंगे. संशोधित बास तकनीक में आपको ब्रश को दांतों के सामने 45 डिग्री के कोण पर रखना होता है. इसमें आप मसूड़ों के सामने और पीछे ब्रश को धीरे-धीरे घुमाते हैं. संशोधित स्टिलमैन तकनीक कुछ-कुछ संशोधित बास तकनीक जैसी है. मगर, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रश करने के दौरान मसूड़ों पर ज़्यादा दबाव ना पड़े.फ़ोन्स तकनीक में आपको ब्रश को 90 डिग्री के कोण पर रखना होता है. इसमें आप दांतों और मसूड़ों पर ब्रश को गोल-गोल घुमाते हैं. ब्रश करने के दौरान मसूड़ों पर दबाव 150-400 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ज़्यादा दबाव डालकर ब्रश करना, मसूड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकता है. खासतौर पर मज़बूत ब्रिसल वाले ब्रश से ऐसा करना मसूड़ों को चोट पहुंचा सकता है.ज़्यादा दबाव डालकर किया जाने वाला ब्रश सॉफ्ट टिश्यू को चोट पहुंचा सकता है. वैसे दिन में एक बार में कम से कम दो मिनट तक ब्रश करना चाहिए. हेल्थ ऑर्गनाइजेशंस तो दिन में दो बार ब्रश करने का सुझाव देती हैं. मगर, परेशानी इस बात की भी है कि हममें से अधिकांश लोग यह अनुमान लगाने के मामले में बहुत बुरे हैं कि यह दो मिनट का इस्तेमाल हमें कैसे करना है. केवल 25 फ़ीसदी लोग ऐसे हैं, जो अपने दांतों को सही समय तक, सही दबाव और तरीके से ब्रश करते हैं.

लू से शहरों में बन रहे हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, हीटवेव है जानलेवा

नई दिल्ली। भारत में जलवायु परिवर्तन के चलते गर्मी बढ़ रही है। बढ़ती गर्मी से हीटवेव (लू) के दिनों में भी बढ़ोतरी हुई है। स्थितियां दिन-प्रति दिन गंभीर होती जा रही हैं। आज देश के कई हिस्सों में अत्यधिक गर्मी से लोगों की सेहत, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर गहरा असर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 11 फीसदी शहरी आबादी उन शहरों में रहती है, जहां हीटवेव का खतरा सबसे अधिक है। इन इलाकों में आने वाले समय में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है।

भारत सहित दुनिया के कई वैज्ञानिकों की ओर से भारत में मृत्यु दर पर हीटवेव का प्रभाव विषय पर देश के 10 बड़े शहरों के डेटा पर अध्ययन किया गया। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलुरू, अहमदाबाद, पुणे, वाराणसी, शिमला और कोलकाता शामिल थे। वैज्ञानिकों

ने पाया कि किसी शहर में हीटवेव जैसी स्थितियां एक दिन दर्ज होती हैं तो दैनिक मृत्यु दर में 12.2त्न की वृद्धि होती। यदि हीटवेव की स्थिति लगातार दो दिन बनी रहती है तो दैनिक मृत्यु दर 14.7 प्रश तक बढ़ जाती है। तीन दिन लगातार हीटवेव रहने पर ये 17.8 प्रश तक बढ़ जाती है। लगातार पांच दिनों तक अत्यधिक गर्मी की स्थिति दर्ज की जाती है तो मृत्यु दर 33.3 प्रश तक बढ़ सकती है।

दिल्ली मेडिकल काउंसिल की साइंफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र सैनी के मुताबिक हीट वेव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इससे आपकी जान भी जा सकती है। हमारे शरीर के ज्यादातर अंग 37 डिग्री सेल्सियस पर बेहतर तरीके से काम करते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा इनके काम करने की क्षमता प्रभावित होगी। बेहद गर्मी में निकलने से शरीर का तापमान बढ़ जाएगा जिससे ऑर्गन फेल होने लगेंगे। शरीर जलने

साल में दो बार होगी 10वीं - 12वीं की बोर्ड परीक्षा, सप्लीमेंट्री एग्जाम भी खत्म

भोपाल : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (मप्र बोर्ड) की 10वीं व 12वीं की परीक्षा अब एक शैक्षिक सत्र में दो बार कराई जाएगी। अब बोर्ड परीक्षा के बाद पूरक परीक्षा नहीं कराई जाएगी। पहली परीक्षा फरवरी-मार्च में और दूसरी परीक्षा जुलाई-अगस्त में होगी। जाहिर है कि इसके बाद जुलाई-अगस्त में द्वितीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। द्वितीय परीक्षा में वही विद्यार्थी शामिल होंगे, जिन्होंने पहली परीक्षा दी है। इसके बाद बोर्ड की पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर वार्षिक परीक्षा का परिणाम तैयार किया जाएगा।

सीबीएसई ने भी अगले शैक्षणिक सत्र से दो बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराने का निर्णय लिया था। मप्र बोर्ड की अभी तक एक ही परीक्षा फरवरी या मार्च में होती थी। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद जुलाई में पूरक परीक्षा आयोजित की जाती थी, जिसे अब नई व्यवस्था में नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। द्वितीय परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी पूर्ण परीक्षा परिणाम घोषित होने तक माध्यमिक शिक्षा मंडल या महाविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त संस्था के प्रधानाचार्यों से अनुमति प्राप्त कर अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश ले सकेंगे।

ऐसे विद्यार्थियों के लिए, जो मंडल की प्रथम परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक या एक से अधिक विषयों में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण रहे हों, द्वितीय परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी विषय में उत्तीर्ण हो गए हों, वे भी अंक सुधार के लिए द्वितीय परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे विद्यार्थी भी एक या एक से अधिक विषयों में द्वितीय परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। प्रायोगिक विषयों में कोई विद्यार्थी प्रथम परीक्षा की प्रायोगिक/आंतरिक परीक्षा के केवल अनुत्तीर्ण भाग में शामिल होने के लिए पात्र होगा।

शख्स ने 454 पेड़ों को काटा

अब हर पेड़ के बदले देना होगा 1 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। पेड़ों की अवैध कटाई एक शख्स को भारी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर काटे गए हर पेड़ के बदले 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। व्यक्ति ने अपनी गलती मान ली है। उसने शीर्ष अदालत से जुर्माना कम करने की मांग की। मगर अदालत ने इसे ठुकरा दिया। इस शख्स ने कुल 454 पेड़ काटे थे।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना इंसान की हत्या से भी बदतर कृत्य है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने ताज संरक्षित क्षेत्र में 454 पेड़ों को काटने वाले शख्स की याचिका को खारिज कर दिया और मामले में सख्त टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि पर्यावरण के मामले में कोई दया नहीं होनी चाहिए। बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना किसी इंसान की हत्या से भी बदतर है।

सीईसी ने की थी भारी जुर्माने की सिफारिश

शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना अनुमति के काटे गए 454 पेड़ों से बने हरित क्षेत्र को दोबारा बनाने में कम से कम 100 साल लगेंगे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में मथुरा-वृंदावन स्थित डालमिया फार्म में 454 पेड़ काटने वाले शिव शंकर अग्रवाल पर प्रति पेड़ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अग्रवाल का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि याची ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। मगर अदालत ने जुर्माना राशि कम करने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि अग्रवाल को पास के स्थल पर पौधारोपण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह भी कहा कि उनके खिलाफ दायर अवमानना याचिका का निपटारा अनुपालन के बाद ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में पारित अपना आदेश भी वापस ले लिया। इसमें ताज ट्रेपेजियम जोन के भीतर गैर-वन और निजी भूमि पर पेड़ों को काटने के लिए पूर्व अनुमति लेने आवश्यकता को हटा दिया गया था।

रेल यात्रियों को ट्रेन में छूटा हुआ सामान मिलेगा वापस

पश्चिमी रेलवे (डब्ल्यूआर) की लॉस्ट एंड फाउंड वेबसाइट ऑनलाइन हो गई है। रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि ट्रेनों और रेलवे परिसरों में मिलने वाले सामान, पर्स, हैंडबैग, डिब्बे और अन्य सामान अब फोटोज के साथ पश्चिम रेलवे के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे ताकि यात्रियों के लिए उन्हें पहचानना और हासिल करना आसान हो जाए। पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय रेलवे में पहली बार रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) पश्चिम रेलवे की वेबसाइट पर खोए/छोड़े गए सामान की डिटेल अपलोड की गई है, जो पश्चिम रेलवे (Western Railway Official) के होम पेज पर उपलब्ध है।

जनपद पंचायत शिक्षा समिति की बैठक में विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा

पिपलौदा 1 शिक्षा समिति जनपद पंचायत की बैठक विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज.प.अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक में शिक्षा समिति के स्थाई आमंत्रित जिला पंचायत सदस्य डी.पी. धाकड़ एवं राजेश भरावा, सदस्य गोपाल मालवीय, नंदीबाई- गोवर्धन लाल मकवाना, अंजना- प्रकाश राठी, सहायक संचालक (शिक्षा) एवं समिति सचिव अभिषेक यादव, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक प्रदीप सिंह बेस

उपस्थित थे। बैठक में स्कूल भवनों की मरम्मत, स्कूलों में समय से शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षकों की कमी, पाठ्य पुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, मध्यान भोजन वितरण, दिव्यांग छात्रों का भत्ता स्वीकृत, छात्रवृत्ति वितरण, साइकिल वितरण, शिक्षा में गुणवत्ता व मूलभूत सुविधाओं को लेकर बिंदुवार चर्चा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए। अपार आईडी बनाने में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग से चर्चा कर तत्काल समाधान की कार्रवाई की गई। अप्रेल माह में विद्यालय में पेयजल व्यवस्था हेतु विद्यालय वार जानकारी तेयार कर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये। बैठक में प्राचार्य रामलाल मईडा, प्रधान लिपिक संजय शर्मा, लेखपाल मनोज चौहान, नितिन नांदेचा, खंड अकादमीक समन्वयक रामदयाल आंजना, बलराम चौहान, जनशिक्षक अंबाराम बोस, सोमेश बार्गल, हरिशंकर रावल, बसंतीलाल पाटीदार, रामप्रसाद पाटीदार, लोकेंद्रसिंह देवड़ा, मोहम्मद शाहिद खान, घनश्याम बैरागी, मोहनसिंह सोलंकी, भोपाल सिंह राठौर, नितिन दुबे, लक्ष्मीनारायण जोशी, दिनेश गुजराती आदि उपस्थित थे।